1

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

/2018 III/निगरानी/दतिया/भू.रा/2018/0255

निगरानी

1. राकेश तनय घनश्याम
2. कैलाशी पत्नि राकेश जाति कोरी निवासीगण भदौना तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म.प्र.

.............आवेदकगण

विरूद्ध

1. हरदयाल पुत्र धनंजू कोरी निवासी खडौआ
2. मुस प्रेमा बेबा बटोली कोरी निवासी खडौआ
3. रघुराज सिंह पुत्र मनोहर सिंह निवासी उचिया तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म.प्र.
4. हरनारायण पुत्र हरदयाल जाति पटव निवासी खडौआ
5. रामकिशुन पुत्र हरदयाल जाति पटवा निवासी ग्राम खडौआ तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म.प्र. ।
6. रामसेवक पुत्र दुर्जन सिंह उर्फ दुर्सन सिंह जाति वघेल निवासी दिनारा रोड पाल कालोनी दतिया तहसील व जिला दतिया म.प्र.
7. अनन्तराम राजपाली पुत्र कन्हई राजपाली जाति वघेल निवासी हंसारी झांसी तहसील व जिला झांसी उ.प्र. ।

..........अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि0 8.1.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5.2.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 8.1.18

निगरानी अतर्गत धारा 50 एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राज्य संहिता 1959 के तहत पारित तहसीलदार इंदरगढ जिला दतिया के रा0प्रकरण क्र 06/बी–121/2017–18 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.12.2017 के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर मे प्रस्तुत प्रथम

(10)

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक III /निग0/दतिया/भू.रा./2018/0255

राकेश विरूद्ध हरदयाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
16-02-18	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन, अभि.उप. । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2— प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.12.17 का अवलोकन किया गया । प्रकरण में उपस्थित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत विवेचना किए जाने से यहां विवेचना को पुनरांकित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उस पर विचार गया गया है। विचारोपरांत प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	